शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

दलित महिलाओं की समस्याएं और चुनौतियां

*दलीप कुमार, **नानकचन्द गौतम (शोधार्थी)
*राजनीति विज्ञान विभाग
चौ. च.सिं.वि.वि.परिसर मेरठ
**इतिहास एवं सभ्यता विभाग
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारतीय समाज में असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उनमें भी दलित महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रुप से हाशिए पर रखा गया, जिसके कारण दलित महिलाएं पूर्वाग्रह, भेदभाव, अत्याचार और उत्पीडन का शिकार होती रही हैं। डॉ.अम्बेडकर ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किये, क्योंकि वे महिलाओं की उन्नति के पक्षधर थे। वे दलित महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रुप में दिखाई पड़ते हैं। इस शोध पत्र के द्वारा यह प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाएगा कि दलित महिलाओं के विकास में डॉ.अम्बेडकर का क्या योगदान है ? वर्तमान में दलित महिलाओं की क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं ? प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।

प्रस्तावना

महिलाओं को समाज ने बेटी, पत्नी और माता के अलावा पूजनीय स्थान दिया है और उसे शक्तिदायिनी एवं कल्याणकारिणी देवी कहा है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:। लेकिन दूसरी ओर नारी को पददलित किया जाता रहा है। इसमें पुरुष वर्चस्ववादी सोच का अधिक योगदान है। जातिवाद के कारण दलित समाज हाशिये पर है। इनमें भी सबसे अत्यधिक उपेक्षित और शोषित दलित महिलाएं हैं। आदमी को आदमी न समझना यह विडंबना तो सदियों से चली आ रही है। आदमी इतिहास तो लिखता है लेकिन इससे कुछ सीखता नहीं और ऐसे ही अमानवीय अत्याचारों और क्रूर त्रासदियों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। महिलाओं पर किये गए अमानवीय कृत्यों को देख-पढ़-सुनकर हमें मनुष्य होने पर ही शंका होने लगती है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, लेकिन आजादी के 67 वर्ष बाद भी इस लोकतान्त्रिक देश में विभिन्न स्थानों पर दलित महिलाओं पर अत्याचार किये जाते हैं और उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जाता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्त्रियों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता रहा। स्त्रियों और दुर्भाग्य उनके जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है, जो उनकी मृत्य तक जारी रहता है। भारत में दलितों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक हर तरीके से उत्पीडन और शोषण हुआ

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

और दलित महिलाओं को शिक्षा हासिल करने से वंचित किया गया। दलित महिलाओं को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकार प्राप्त नही थे। यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगा कि भारतीय समाज में दलित महिलाओं की स्थिति पशु के समान थी। आज भी भारतीय समाज में दलित महिलाएं अपने अधिकारों और समाज में सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। उनका संघर्ष अपने अधिकारों तक ही सीमित है, लेकिन उनके संघर्ष के परिणाम बहुत ही भिन्न प्रतीत होते हैं। दलित महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना और उस द्वेष से प्रेरित अत्याचार की घटनाओं का क्रम समाप्त नहीं हुआ है।

दलित महिलाओं की समस्याएं

दलित महिलाओं की दयनीय हालत को देखते हुए, डॉ.अम्बेडकर ने दलित महिलाओं में चेतना जाग्रत करने लिए एक नारा बुलंद किया और संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि दलित इसको अपनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहे। दलित महिलाएं संवैधानिक स्तर पर तो अपने संघर्ष के परिणामस्वरुप अपने नागरिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रही है मगर उनकी सामाजिक स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। खैरलांजी हत्याकांड, मिर्चपुर हत्याकांड और बथानी टोला हत्याकांड दलितों के साथ होने वाले शोषण और उत्पीडन की घटनाओं को दर्शाती है।

हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियों और उपजातियों में विखण्डित है। महिलाएं किसी भी देश और समाज के विकास की मुख्य धुरी होती है, जो पत्नी, मां, बहन के रुप में परिवार की अंगरक्षक बनकर महत्तवपूर्ण भूमिकाएं अदा करती है, लेकिन यह दुःखद प्रतीत होता है कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के युग में भी दलित महिलाएं अपने अधिकारों को पाने में नाकामयाब प्रतीत होती हैं, जिसके मूल में जाति व्यवस्था है। इस कारण उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-14 में यह व्यवस्था की गई थी कि 6-14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं को किसी भेदभाव के बिना अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी लेकिन आधी सदी से ज्यादा बीत जाने के बाद भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं। दलित महिलाएं समाज में दोहरी गुलामी से पीडित हैं। प्रथम दलित समुदाय की महिलाओं को समाज में समानता प्राप्त न होना और घर में उनके अधिकारों का हनन करना। आज भी समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है, समाज आज भी दलित महिलाओं को हेय की दृष्टि से देखता है। ऐतिहासिक आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में बालिका शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। रुप्पला, विश्ववारा, गार्गी और मैत्रेयी विदुषी दार्शनिक महिलाएं थीं। वेद में 21 स्त्रियों की नाम मिलते हैं, जिन्होंने वैदिक सूत्रों की रचनाएं की हैं। कालांतर में वैदिक धर्म अपने मूल भाव को खोता चला गया। बौद्ध और जैन विचारधारा ने सनातन धर्म को आगे बढाने में अपना योगदान दिया। जब भारत अपना आत्म भाव खो बैठा, तब आदिगुरु शंकराचार्य ने वैदिक धर्म को पुनर्परिभाषित किया और ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य की रचना की। ऐसे तथ्य मिलते हैं

कि मुस्लिम शासनकाल में उच्च घरानों की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था।

डॉ.अम्बेडकर ने कहा था कि दलित महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से भारत पिछडा हुआ है। विकास में दलित महिलाओं की भागीदारी होना भी नितांत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर यह सत्य डॉ.अम्बेडकर ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता की बीमारी को समाप्त करने के लिए शिक्षा को अपनाया। वर्तमान में दलित महिलाएं डॉ.अम्बेडकर के शिक्षित बनो के सिद्धांत को अपनाते दिखाई देती हैं। कुछ शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है कि ज्ञान दलित महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पंडित जवाहर लाल नेहरु ने समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया था। विज्ञान के युग में मानस परिवर्तन हुआ है। फिर भी गरीबी और अशिक्षा इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

स्वाधीनता के पश्चात् भारत सरकार ने सर्वशिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किये हैं लेकिन पूर्ण रुप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। दलित महिलाओं को शिक्षित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग और दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती हंसा मेहता समिति, स्त्री शिक्षा समिति और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। हंसा मेहता की समिति में इस बात पर विशेष रुप से ध्यान दिया गया कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे घर और बाहर दोनों को संभाल सकें।

सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने सन् 1986 ई. में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि दलित महिलाओं के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण जरिया है। दलित महिला सशक्तिरण के उद्देश्य को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए सन् 1990 ई. में राममूर्ति समिति में कहा गया कि दलित महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिये बिना देश का विकास नहीं किया जा सकता।

इस संदर्भ में सन 1993 में दिल्ली और सन् 1995 में चीन के बींजिग शहर में हुए बालिका शिक्षा से संबंधित शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गयी। यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए हम सभी को आगे आकर अपने-अपने हिस्सों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। दलित महिलाओं के लिए शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है जिसमें सवर्ण समाज को पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और समाज को दलित महिलाओं को पूर्ण रुप से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। राज्यों, नगरों, जिलों, शहरों, गांवों और कस्बों में दलित महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए रैली निकालनी चाहिए और विश्वविद्यालयों, कालेजों में महिला सशक्तिकरण और दलित महिलाओं की समस्याओं पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए और स्कूलों में बालिका शिक्षा से संबंधित महीने में विशेष रुप से लेक्चर होना चाहिए जिससे दलित महिलाएं समाज में समानता प्राप्त कर सकें और जनकल्याण के कार्यो में प्रतिनिधित्व कर सकें। सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप दलित महिलाएं सदियों की सामाजिक गुलामी को भूलने लगी हैं और अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए आवाज उठाने लगी हैं।

शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 नवंबर 2014
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

संविधान के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है लेकिन देहाती क्षेत्रों में यह आज भी अपनी जड़ें जमाये हुए है।

दलित महिला उत्पीडन एक समस्या है। उच्च घरानों की औरतों का उत्पीड़न घर की चारदीवारी तक सीमित होता है। दलित महिलाओं के साथ घर के भीतर और बाहर हर स्थान पर शोषण होता है। घर में घरवालों के द्वारा और बाहर समाज के द्वारा होता है। महिलाओं की अस्मिता को गिराने में मानव ने अपने प्रभुत्व का गलत प्रयोग किया है, बल्कि सदियों से प्रचलित धर्म और सामाजिक साम्प्रदायिक तत्वों ने भी मदद की है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दलित महिलाएं अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को पाने में आज भी असफल हैं। यह कहना गलत न होगा कि दलित महिलाएं समाज में सामाजिक समानता और मानवाधिकार प्राप्त करने में नाकामयाब ही दिखाई पडती हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण वे सदियों से उपेक्षित रही हैं। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए समाज को मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की जरुरत है। प्रगतिशील सोच किसी भी समाज के विकास में अपनी अहम उपयोगिता अदा करती है। दलित महिलाओं के उत्पीडन के लिए दलित समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि जाति-उपजाति का भेद, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के भेद प्रतीत होते हैं। डॉ.अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था कि संविधान मात्र राजनैतिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और कमजोर वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए सवर्ण समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी नहीं तो संविधान पर भी खतरा हो सकता है।

शोध ग्रन्थ

1 झा, डी.एन., आरिम्भक भारत का संक्षिप्त इतिहास, दिल्लीः मनोहर, 2009

2 भारती, कंवल, मायावती और दलित आन्दोलन, नई दिल्लीः रमणिका फाउंडेशन, 2004, पृष्ठ-11-12

3 वेब दुनिया समाजार पत्रा, 25 जुलाई, 2007

4 आर्य, लाल, दलित समाजः आज की चुनौतियां, नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ- 21

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 भारती, कंवल, मायावती और दलित आन्दोलन, नई दिल्लीः रमणिका फाउंडेशन, 2004

2 गुप्ता, रमणिका, दलित चेतना-सोच, बिहारः नवलेखन प्रकाशन, 1998,

3 गुप्ता, रमणिका, दलित चेतना-सोच, बिहारः नवलेखन प्रकाशन, 1998,

4 लिंबाले, शरण कुमार, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्रा, नई दिल्लीः वाणी प्रकाशन, 1997, पृष्ठ-70

5 कीर, धनंजय, डॉ.अम्बेडकर का जीवन और उद्देश्य, प्रथम संस्करण, दिल्लीः पोपुलर प्रकाशन, 1990